संचिका सं0–1/विविध–61/2019 – 251 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

कुमार रवि,
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 10 / 07 /2026

विषयः– अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना के विस्तारीकरण के लिए मौजा–भुसौला दानापुर, थाना नं०–40 में रकवा 26.76 एकड़ का अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि पर होने वाले व्यय की अनुमानित लागत रु० 3,48,89,98,270/–(रुपये तीन अरब अड़तालीस करोड़ नवासी लाख अट्ठानबे हजार दो सौ सत्तर) मात्र की वित्तीय वर्ष 2026–27 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक कल्याणकारी राज्य में आमजनों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण विभिन्न प्रकार के उच्च तकनीकी युक्त चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा छात्रों के शैक्षणिक गतिविधियों मे लगातार वृद्धि करने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील एवं कृत संकल्पित है। इसी क्रम में कार्यपालक निदेशक, एम्स, पटना के कार्यालय पत्रांक–126310/AIIMS/Pat/Dir/2026, दिनांक–01.07.2026 के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना के स्थापना के बाद संस्थान में मरीजों की संख्या एवं शैक्षणिक गतिविधियों में लगातार वृद्धि को देखते हुए संस्थान में सुपर–स्पेशलिटी ब्लॉक, चक्षु केन्द्र आदि सहित अन्य आवश्यक भवनों के निर्माण तथा अन्य आवश्यक अनुषंगी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्थान के विस्तारीकरण के लिए अतिरिक्त 27 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इससे विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित मरीजों को एक ही केन्द्र पर बेहतर उच्चस्तरीय चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

2– तद्क्रम में समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक–3084/भू–अर्जन, दिनांक– 04.07.2026 द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना के विस्तारीकरण के लिए मौजा–भुसौला दानापुर, थाना नं०–40 में रकवा 26.76 एकड का अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि पर होने वाले व्यय की अनुमानित लागत रु० 3,48,89,98,270/–(रुपये तीन अरब अड़तालीस करोड़ नवासी लाख अट्ठानबे हजार दो सौ सत्तर) मात्र आकलित की गयी है।

3– इस पर होने वाले व्यय का वहन मॉग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष– 0111–मेडिकल कॉलेज अस्पताल विपत्र कोड–20–4210011100111 के अंतर्गत विषय शीर्ष–0111–53–02 भू–अर्जन में बजट उपबंध/अनुपूरक आगणन/बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

5— उक्त परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना के विस्तारीकरण के लिए मौजा— भुसौला दानापुर, थाना नं०—40 में रकवा 26.76 एकड़ का अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि पर होने वाले व्यय की अनुमानित लागत रु० 3,48,89,98,270/—(रुपये तीन अरब अडतालीस करोड नवासी लाख अट्ठानबे हजार दो सौ सत्तर) मात्र की वित्तीय वर्ष 2026—27 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7— अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से समाहर्त्ता, पटना के पी0डी0 खाता में उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

8— समाहर्त्ता, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण—पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे ।

9— यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561/वि0(2), दिनांक—17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक—06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक—03.04.08 एवं 12888/वि०, दिनांक—03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10— प्रस्ताव को दिनांक—08.07.2026 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या—18 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

11—राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—1/विविध—61/2019 के पृष्ठ—66/टि0 में प्राप्त है।

12— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13— यह मात्र राज्यादेश है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/7/26
(कुमार रवि)
सचिव

ज्ञापांकः—1/विविध—61/2019 – 851 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक—10/07/2026

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक—08.07.2026 में मद संख्या—18 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना।

प्रतिलिपि— प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— कार्यपालक निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—1, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई—मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

251(7A)
10/07/2026

10/7/21

सचिव